UFO digital cinema

Publication: NavBharat Times
Date: 23/02/2019

NBT
नवभारत टाइम्स

फिल्म इंडस्ट्री के लिए पाइरेसी एक बड़ा सिरदर्द रही है। इसके चलते इंडस्ट्री को भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए, सिनेमेटोग्राफी ऐक्ट 1952 में बदलाव करके सिनेमाघरों में फिल्मों की गैरकानूनी रिकॉर्डिंग को जुर्म बनाए जाने के सरकार के फैसले से इंडस्ट्रीवालों ने राहत की सांस ली है। लेकिन पाइरेसी रोकने में कितना कारगर होगा सरकार का यह कदम? और अभी पाइरेसी से कैसे लड़ रहे हैं इंडस्ट्रीवाले? इस पर एक रिपोर्ट:

पाइरेसी मिटेगी पिक्चर सुपरहिट होगी

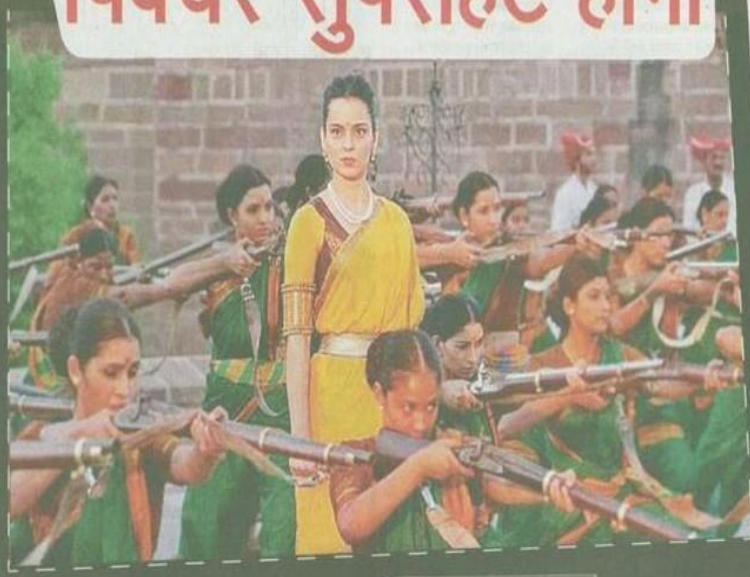

Imagesbazaar

Upma.Singh@timesgroup.com

पाइरेसी हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाइरेसी के चलते भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को हर साल 2.7 बिलियन डॉलर का घाटा होता है। हालांकि, इसका डरावना चेहरा दो-तीन साल पहले तब खुलकर सामने आया, जब मांझी द माउंटेनमैन, मोहल्ला अस्सी, उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्में सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही लीक हो गईं। इसके बाद से ही पाइरेसी पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग तेज हो गई थी, जिस पर फाइनली अब सरकार ने अमल किया। हाल ही में कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफी ऐक्ट 1952 में बदलाव को मंजूरी दी। इसके तहत, सिनेमाघरों में फिल्मों को गैरकानूनी ढंग से रिकॉर्ड करना और इंटरनेट पर डालना कानूनन जुर्म होगा। ऐसा करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की जेल या दोनों सजा हो सकती है। सरकार के इस कदम के बाद इंडस्ट्रीवालों को पाइरेसी पर लगाम लगने की उम्मीद है। उनका मानना है कि ऐसा हो जाए, तो फिल्मों की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी।

पाइरेसी पर डबल अटैक

डिजिटल सिनेमा वितरण कंपनी यूएफओ मूवीज के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से पाइरेसी करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी, जिससे उनमें डर बैठेगा। इससे निश्चित तौर पर पाइरेसी घटेगी और इंडस्ट्री का नुकसान कम होगा। कंपनी के सीओओ पंकज जयसिंह कहते हैं, 'डिजिटल सिनेमा के आने के बाद से पाइरेसी एक हद तक कम हुई है, लेकिन इस पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए एक कड़े एंटी पाइरेसी कानून की जरूरत थी।' पंकज बताते हैं, 'यूएफओ मूवीज की सिक्योर तकनीक के चलते पाइरेसी पर लगाम लगी है। दरअसल, पहले जब फिल्मों की रील हुआ करती थी, तो बीच से एकाध रील गायब कर दी जाती थी। उसके अलावा, जब फिल्मों का प्रिंट एक थिएटर से दूसरे थिएटर में जाता था, तो बीच में उसकी डुप्लिकेट कॉपी बना ली जाती थी। तब कई स्तर पर पाइरेसी हो जाती थी, लेकिन अब हम फिल्मों को एनक्रिप्ट करके सैटेलाइट के जरिए सीधे सिनेमाघरों में भेज देते हैं। बाद में उन्हें लाइसेंस भेजते हैं, जिससे वे फिल्म ओपन कर लेते हैं। इससे एक तो कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, दूसरे एनक्रिप्शन के चलते कोई इसे अनऑथराइज्ड तरीके से खोल नहीं सकता। इससे, पाइरेसी करने वालों के पास अब रिकॉर्डिंग का रास्ता ही बचा है। उसके लिए भी हमने यूनिक वाटरमार्किंग तकनीक ईजाद की है। यह अदृश्य वाटरमार्किंग हर डिजिटल प्रिंट पर होती है, जो हर थिएटर के लिए अलग होती है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि रिकॉर्डिंग किस थिएटर में हुई? कब और कितने बजे हुई? जिससे पाइरेसी करने वाले को पकड़ा जा सकता है। इसीलिए, गैरकानूनी रिकॉर्डिंग को जुर्म बनाए जाने के बाद ऐसा करने वाले में डर बैठेगा कि अब खतरा दोगुना बढ़ गया है। अगर कोई रिकॉर्डिंग करेगा, तो वाटरमार्किंग से पकड़ा जाएगा और फिर जेल जाएगा।'

तो हॉलिवुड को देंगे टक्कर

अपनी पिछली फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के रिलीज से करीब एक महीने पहले लीक हो जाने का दर्द झेलने वाले निर्देशक इंद्र कुमार कहते हैं, 'अगर यह कानून ठीक से लागू हो जाए और पाइरेसी पर लगाम लग जाए, तो कमाई के मामले में हम हॉलिवुड के बराबर आ जाएंगे।' बकौल इंद्र कुमार, 'थ्री इडियट्स या दंगल हमारी सबसे बड़ी हिट फिल्में मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवा सौ करोड़ की जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोगों ने यह फिल्म थिएटर में देखी होगी? सीधी सी बात है, अगर औसतन सौ रुपये की टिकट है और तीन सौ करोड़ का बिजनस हुआ, तो तीन करोड़ लोगों ने फिल्म देखी। मतलब हमारी जो फिल्म सुपरहिट होती है, उसे सवा सौ करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ तीन करोड़ लोग यानी 2.5 प्रतिशत लोग देखते हैं। सोचिए, अगर बीस-पचीस पर्सेंट जनता भी दंगल देखने चली जाती, तो कितनी ज्यादा कमाई होती? पाइरेसी से इतना नुकसान है। इंडस्ट्री ही नहीं, इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है। अगर पाइरेसी न होती, तो सरकार को भी टैक्स के रूप में काफी मुनाफा होता। यह बात कोई समझ नहीं रहा है। मुझे तो तब अहसास हुआ, जब मेरी फिल्म लीक हुई।'

एथिकल हैकिंग का हथौड़ा

पाइरेसी से लड़ने के लिए बॉलिवुड एथिकल हैकिंग का सहारा भी ले रहा है। इसमें उनके मददगार साबित हो रहे हैं गुजरात के चर्चित एथिकल हैकर मनन शाह, जो फिल्ममेकर्स को एंटी पाइरेसी सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, इसके तहत मेकर्स अपनी फिल्म के डिजिटल राइट्स मनन को दे देते हैं। फिर, मूवी रिलीज होते ही उनकी टीम 24 घंटे उसकी डिजिटल निगरानी शुरू कर देती है और इंटरनेट पर जो भी लिंक अपलोड होता है, उसे गूगल और दूसरी कंपनियों की मदद से तुरंत डिलीट करवाती है। जरूरत पड़ने पर कंपनी इसके लिए सरकार से मदद और कोर्ट से ऑर्डर भी लेती है। मनन अय्यारी, नमस्ते इंग्लैंड, द ऐक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर समेत कई फिल्मों को यह सर्विस प्रदान कर चुके हैं।

पाइरेसी का पूरा खात्मा मुश्किल

"डिजिटल प्रिंट और यूएफओ की तकनीक से पाइरेसी कम हुई है। पाइरेटेड फिल्में दिखाने वाले कई विडियो सिनेमा बंद होने के कगार पर हैं। इंटरनेट और फोन पर लोग पाइरेटेड फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि पाइरेसी को पूरी तरह खतम कर पाना आसान नहीं है। फिल्में दुबई और दूसरे देशों में भी रिलीज होती हैं। कई बार वहां से रिकॉर्ड और सर्कुलेट होती हैं, क्योंकि वहां के थिएटर हमारे अंतर्गत नहीं हैं। - *पंकज जयसिंह, सीओओ, यूएफओ मूवीज*